बिहार विधान परिषद

(202वां शीतकालीन सत्र)

14 दिसंबर2022

[**सामान्य प्रशासन - राजस्व एवं भूमि सुधार - पर्यटन - नगर विकास एवं आवास - सहकारिता - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण - सूचना एवं जनसम्पर्क - आपदा प्रबंधन - मंत्रिमंडल सचिवालय - निगरानी - निर्वाचन सूचना प्रौद्योगिकी**].

कुल प्रश्न 30

सर्वे का कार्य

*8 **डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में भूमि सर्वे का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है;

(ख) क्या यह सही है कि भूमि सर्वे का कार्य सम्पन्न नहीं होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक योजना में लाभ से वंचित हो रहे हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य में भूमि सर्वे का कार्य कबतक सम्पन्न कराना चाहती है?

पुनः नियोजन कर सेवा

*7 **श्री दिलीप कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, औरंगाबाद):**

क्या **सामान्य प्रशासन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि औरंगाबाद जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा जिला स्तरीय पैनल से संजीवनी कार्यक्रम के तहत 24 कार्यपालक सहायकों की सेवा 7 साल तक ली गई है;

(ख) क्या यह सही है कि औरंगाबाद जिला स्वास्थ्य समिति के पत्रांक- 2251, दिनांक- 28.11.2020 के द्वारा कार्यपालक सहायकों को जिला पैनल में वापस भेज दिया गया;

(ग) क्या यह सही है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद् की दिनांक- 05.02.2021 की 29वीं बैठक में नियोजनमुक्त कार्यपालक सहायकों को पुनः नियोजन की स्वीकृति कर बेल्ट्रॉन को प्रस्ताव भेजा गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की 29वीं बैठक के आलोक में कार्यपालक सहायकों का पुनः नियोजन कर सेवा लेने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अंचलाधिकारी पर कार्रवाई

*6 **श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि भोजपुर जिला के आरा सदर प्रखण्ड के अंचलाधिकारी द्वारा दाखिल-खारिज आवेदनों का निष्पादन भेदभाव पूर्ण एवं मनमाने ढंग से किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि राम निवास सिंह, MIG-53, हाउसिंग कॉलोनी, आरा की दाखिल-खारिज याचिका संख्या- 56795/2021-22 को गलत ढंग से खारिज कर दी गई है, जबकि आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड डीड सहित सभी कागजात ऑनलाइन दाखिल किए गए हैं;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त याचिका के निष्पादन के क्रम में अंचलाधिकारी, आरा सदर द्वारा अपने पत्रांक- 777, दिनांक- 23.06.2022 द्वारा भू-अर्जन पदाधिकारी, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना से दिशा निर्देश की मांग की गई थी जिसके उत्तर में बिहार राज्य आवास बोर्ड के पत्रांक- 3832, दिनांक- 30.08.2022 द्वारा दाखिल-खारिज करने का स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाने के बावजूद अंचलाधिकारी, आरा सदर द्वारा उक्त दाखिल-खारिज वाद को भेदभाव पूर्ण एवं मनमाने ढंग से अस्वीकृत कर दिया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भोजपुर जिला, आरा सदर अंचल अंतर्गत दाखिल-खारिज याचिका संख्या- 56795/2021-22 को स्वीकृत करने का निदेश देने तथा इस याचिका को भेदभाव पूर्ण एवं मनमाने ढंग से अस्वीकृत करने वाले वर्तमान अंचलाधिकारी, आरा सदर के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

जिला का दर्जा देने पर विचार

*1 **डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

क्या **सामान्य प्रशासन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि भागलपुर जिला अंतर्गत नवगछिया अनुमंडल वर्त्तमानत: पुलिस जिला के रूप में कार्य कर रहा है जबकि क्षेत्रफल, राजस्व प्राप्ति तथा जनसंख्या के आलोक में इसे राजस्व जिला बनाने की मांग क्षेत्रवासियों द्वारा पंद्रह-बीस वर्षों से की जा रही है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राजस्व जिला की लगभग सभी अर्हता पूरी करने वाले पुलिस जिला नवगछिया को राजस्व जिला का दर्जा देने की घोषणा यथार्थ रूप से करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

मुआवजा की राशि

*2 **श्री संजय पासवान (विधान सभा):**

क्या **आपदा प्रबंधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पिता- श्री राजा राम, पत्नी- श्रीमती पूनम देवी के पुत्र श्री सन्नी कुमार, उम्र-लगभग- 5 वर्ष, ग्राम- इटपकवा, थाना+अंचल- कौआकोल, जिला- नवादा के निवासी हैं, जो अपने ननिहाल ग्राम- छतरपुर, थाना+अंचल- पकरीबरावां, जिला- नवादा में रहकर पढ़ाई के दौरान प्राथमिक विद्यालय, छत्तर की करीब मौला नगर पोखर में डूबने से दिनांक- 05.12.2021 को मृत्यु हो गई है;

(ख) क्या यह सही है कि मृत्यु के बाद स्वर्गीय सन्नी कुमार की माता पूनम देवी के द्वारा अंचलाधिकारी, पकरीबरावां, नवादा को दिनांक- 19.07.2022 को मुआवजा के लिए सभी संबंधित कागजात संलग्न करते हुए आवेदन दिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि मृतक के आश्रित परिवार को अबतक सरकार द्वारा दी जाने वाली मुआवजा की राशि नहीं दी गई है;

(घ) क्या यह सही है कि पूनम देवी सरकारी दफ्तरों की मुआवजा की राशि के लिए चक्कर लगाते-लगाते थक चुकी हैं;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्वर्गीय सन्नी कुमार की माता श्रीमती पूनम देवी को मुआवजा की राशि यथाशीघ्र उपलब्ध कराना चाहती

है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

प्लांट को चालू

*3 **श्री महेश्वर सिंह (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि मोतिहारी शहर से निकलनेवाला कचरा और गंदगी का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण नगरवासियों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि कचरा निस्तारण के लिए निगम ने जमला में अपनी तीन एकड़ भूमि पर साढ़े चार करोड़ की लागत से कचरा प्रोसेसिंग प्लांट लगाया था, लेकिन प्लांट में एक्सीलेटर नहीं होने के कारण वह कार्यरत नहीं है;

(ग) क्या यह सही है कि कुछ माह पूर्व प्लांट को चलाकर कचरा से खाद और प्लास्टिक कचरा से फर्निस ऑयल बनाने का कार्यारंभ भी किया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह बंद हो गया;

(घ) क्या यह सही है कि इन सब कमियों के बावजूद नगर निगम यह दावा कर रहा है कि 100 टन कचरे का निष्पादन किया जा रहा है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार निगम के कार्य-कलापों की समीक्षा करने तथा प्रोसेसिंग प्लांट को शीघ्र चालू कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

दोषी पर कार्रवाई

*5 **मो. फारूक (विधान सभा):**

क्या **खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि शिवहर जिला में किरासन तेल के अभाव में विगत दीपावली में लोगों के घरों में अंधेरा छाया रहा, मध्यमवर्गीय गृहस्थ 150 रुपए से 170 रुपया प्रति लीटर किरासन तेल सीमावर्ती जिला से ब्लैक में खरीदने को मजबूर हुए हैं;

(ख) क्या यह सही है कि विभाग के अधिकारी एवं स्थानीय जिला प्रशासन के अधिकारियों की मनमानी, लापरवाही एवं गरीब जनता से बदला लेने के उद्देश्य से शिवहर जिला में किरासन तेल की आपूर्ति के नाम पर सिर्फ एक टैंकर किरासन तेल दीपावली से

एक रोज पहले उपलब्ध कराया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि समयाभाव के कारण जिला की जनवितरण प्रणाली के डीलर द्वारा किरासन तेल का उठाव ही नहीं किया गया, फलतः गरीब जनता को दीपावली में अंधेरा में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आवंटन एवं वितरण की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों को नियमानुसार दंडित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

डीलरों की मनमानी

*4 **श्री कुमार नागेन्द्र (स्थानीय प्राधिकार, जहानाबाद, गया एवं अरवल):**

क्या **खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में जन वितरण प्रणाली (P.D.S) की लगभग प्रत्येक दुकान पर लाभुकों को डीलरों द्वारा कम अनाज / राशन की आपूर्ति की जाती है;

(ख) क्या यह सही है कि ये सभी लाभुक गरीब / लाचार होने तथा जानकारी के अभाव में एवं डीलरों द्वारा, कहीं शिकायत करने पर दोबारा अनाज न देने की धमकी के कारण कहीं शिकायत नहीं कर पाते हैं तथा मजबूरी वश हर महीने कम राशन में ही इन्हें संतोष करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कोई ऐसी ठोस योजना बनाने का विचार रखती है कि प्रत्येक लाभुक को हर महीने पूरा राशन मिल सके तथा डीलरों की मनमानी पर पूर्णतः रोक लग सके , यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

कचरे का निपटारा

*9 **श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के 32 नगर निकायों में ठोस कचरे के निपटारे में पर्यावरणीय मंजूरी एक बड़ी समस्या बन गई है;

(ख) क्या यह सही है कि वैज्ञानिक पद्धति से कचरा निबटाने की व्यवस्था नहीं होने के कारण सिया (State Environment Impact Assesement Authority) सहित अन्य पर्यावरण संबंधित संस्थाओं ने इन निकायों के कचरा प्रबंधन से जुड़ी योजनाओं की मंजूरी

पर ब्रेक लगा दिया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इसके निबटारे हेतु क्या कोई ठोस योजना बनाने का विचार रखती है?

अधूरे कार्य का निर्माण

*10 **श्री सर्वेश कुमार (स्नातक दरभंगा):**

क्या **पर्यटन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पर्यटन की दृष्टि से खुदनेश्वर धाम, मोरवा, समस्तीपुर के सौंदर्यीकरण हेतु सरकार द्वारा राशि आवंटित की गई थी लेकिन कार्य पूर्ण नहीं हो सका;

(ख) क्या यह सही है कि शेष कार्य, जैसे तालाब को दो दिशा की सीढ़ी, घाट, प्रवेश द्वार, चारदीवारी एवं विवाह मंडप का निर्माण कार्य सम्पन्न नहीं हो सका है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार उक्त अधूरे कार्य को पूरा कर खुदनेश्वर धाम को विकसित करने का विचार रखती है?

नाले का निर्माण

*11 **श्री अशोक कुमार पाण्डेय (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत दिनारा प्रखंड के नटवार बाजार में नाले का निर्माण नहीं होने के कारण आम नागरिकों एवं बाजार वासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या यह सही है कि नाला नहीं होने के कारण सड़क पर गंदे पानी के फैलाव के कारण अन्य संक्रामक एवं गंभीर बीमारियों के होने का बराबर खतरा बना रहता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड 'क' में वर्णित स्थल पर नाले का निर्माण यथाशीघ्र कराना चाहती है, ताकि आम जन-जीवन पर इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ सके ?

गंगा घाट पर विकास कार्य

*12 **श्री राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू (गोपालगंज स्थानीय प्राधिकार):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि 6 मई 2020 को ही गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट पर दो Crematorium केंद्र सरकार की नमामि गंगे परियोजना द्वारा स्वीकृत कर दी गई है जिसे 15 महीनों में पूर्ण करना था, लेकिन आज तक राज्य सरकार ने Budco द्वारा tender नहीं किया है;

(ख) क्या यह सही है कि नमामि गंगे परियोजना से पूर्व में स्वीकृत नारायणी रिवर-फ्रन्ट में एक करोड़ सत्तर लाख रुपया राज्य सरकार के पास पड़ा हुआ है और आज तक दोनों घाटों का Protection एवं अन्य विकास कार्य Budco द्वारा नहीं किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत Crematorium का निर्माण शीघ्र करते हुए दोनों घाटों का Protection एवं अन्य विकास कार्य Budco से शीघ्र कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

भूखंड की रसीद काटना

*14 **श्री भूषण कुमार (वैशाली स्थानीय प्राधिकार):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पाटलिपुत्रा में पाटलिपुत्रा हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसायटी एवं पटना नगर निगम दोनों रसीद काटता है, दोनों संस्था द्वारा रसीद काटने से यहां के निवासियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, एक ही भूखंड का दोनों अथॉरिटी द्वारा टैक्स लेना अनुचित है;

(ख) क्या यह सही है कि पाटलिपुत्रा हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसयटी में बोर्ड का चुनाव वर्ष 2019 से लंबित है;

(ग) क्या यह सही है कि पाटलिपुत्रा हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसायटी एवं नगर निगम दोनों के द्वारा रसीद काटने के बाद भी पाटलिपुत्रा में सड़क एवं नाले की स्थिति जर्जर है और अन्य सभी विकास के कार्य बाधित हैं;

(घ) क्या यह सही है कि DCO ने Adove कमेटी बनाई है जो केवल रूटीन वर्क करती है, अगर कोई अपनी जमीन बेचना चाहता है तो उसे एनओसी निर्गत नहीं किया जाता है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार यह बताना चाहती है कि दोनों संस्थान किस परिस्थिति में एक ही भूखंड की रसीद काट रहे हैं, दोनों में से कोई

एक संस्थान कब तक रसीद काटना बंद करेगा एवं बोर्ड का चुनाव कब तक करा लिया जाएगा, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण से मुक्त करना

*13 **श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव (स्थानीय प्राधिकार, नालन्दा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम के वार्ड सं०- 44 (पटना बाइपास) के मुहल्ला- खेमनीचक की मुख्य सड़क जो नयाचक-बेईमान टोला तक जाती है, काफी संकीर्ण है;

(ख) क्या यह सही है कि इस सड़क पर छोटी एवं बड़ी गाड़ियों का आवागमन होता है जिसके कारण हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त सड़क पर स्कूली बसों एवं मुहल्लावासियों का आवागमन होता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो खेमनीचक-नयाचक मुख्य मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए इस सड़क की चौड़ाई कम-से-कम 35 फीट कराने का विचार सरकार रखती है, यदि हां तो कबतक?

श्मशान घाट का निर्माण

*17 **श्रीमती निवेदिता सिंह (मनोनीत):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सासाराम शहर के उत्तर भाग में स्थित मोहल्ला गौरक्षिणी, कुराईच, गोपालगंज, महदीगंज जैसे हजारों की संख्या वाली आबादी को अभी तक एक भी श्मशान घाट उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि वहां के कुछ लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सरकारी जमीन को मुक्त कराते हुए श्मशान घाट का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

शवदाह गृह का निर्माण

*16 **श्री सच्च्दानिंद राय (स्थानीय प्राधिकार, सारण):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सारण जिलान्तर्गत लहलादपुर प्रखंड की गंडक नदी के किनारे ढोढनाथ मंदिर के पास पड़ोस के 20 गावों के मृतकों का शमशान घाट है जहां प्रतिदिन दर्जनों लाशों का दाह संस्कार किया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि बरसात के दिनों में तथा गरीब तबका के परिवारों को शव दाह हेतु पर्याप्त मात्रा में लकड़ी नहीं मिलने के कारण वे लाश को गंडक नदी में फेक देते हैं जिसके कारण नदी का जल दूषित हो रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर विद्युत संचालित शव दाह गृह का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अनुग्रह राशि कबतक

*15 **प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या **आपदा प्रबंधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत ग्राम- मंझौरा, पो.+थाना+प्रखंड- रीगा निवासी स्व. अमिलाभ वत्स की मृत्यु कोविड की बीमारी के कारण दिनांक- 06.05.2021 को हो गई;

(ख) क्या यह सही है कि स्व. वत्स की मृत्यु से संबंधित संचिका सभी प्रमाण पत्रों एवं कागजात के साथ रीगा अंचल के वार्ड सं.- 4/21-22,पत्रांक- 776, दिनांक- 19.08.2021 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी सीतामढ़ी को भेजा गया, तद्नुसार अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा अपने पत्रांक- 220, दिनांक- 25.02.2022 के द्वारा संबंधित संचिका जिला प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन, सीतामढ़ी को अनुग्रह अनुदान का भुगतान करने हेतु भेजी जा चुकी है;

(ग) क्या यह सही है कि सभी प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद मृतक की आश्रित उनकी पत्नी अर्चना कुमारी को अब तक अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्व. वत्स की मृत्यु से संबंधित नियमानुसार उनकी आश्रित पत्नी श्रीमती अर्चना कुमारी को अनुग्रह राशि

का भुगतान करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

स्ट्रीट लाइट में बल्ब

*18 **श्री बिनोद कुमार जयसवाल (स्थानीय प्राधिकार, सीवान):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सिवान शहर में स्ट्रीट लाइट में बल्ब की व्यवस्था नहीं हुई है;

(ख) क्या यह सही है कि रात के समय में आम जनता को लाइट न होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में सिवान शहर में स्ट्रीट लाइट में बल्ब लगाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई

*19 **डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि श्रीमती मीना देवी, पति- श्री चन्द्रशेखर प्रसाद के नाम पटना जिलान्तर्गत अनुमंडल- मसौढ़ी, अंचल/हल्का- पुनपुन, मौजा- पकड़ी, जमाबंदी नं.- 180, पृष्ठ संख्या- 180, भाग वर्तमान- 2 के नाम से खाता नं.- 25, प्लॉट नं.- 217, रकबा- 24 डि. जमीन जमाबंदी पंजी में वर्ष 2021 तक दर्ज थी;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त जमीन को श्री अमर सिंह, पिता- स्व. दुखित गोप एवं श्री ओमशंकर गोप, पिता- स्व. शनिचर गोप ने फर्जी कागजात बनाकर उपर्युक्त जमीन को अपने-अपने नाम पर आधा-आधा अंचलाधिकारी कार्यालय की मिलीभगत से जमाबंदी करवा ली है;

(ग) क्या यह सही है कि वर्ष- 2018 में श्री अमर सिंह, पिता- स्व. दुखित गोप एवं ओमशंकर गोप, पिता- स्व. शनिचर गोप ने निक्कू कुमार, पिता- स्व. रामजी साव को जमीन बेची, जिसमें चौहद्दी में पश्चिम मीना देवी का प्लॉट संख्या- 217 का जिक्र किया है, जिसकी डीड संख्या- 1266, बुक नं.- 01, वौल्यूम- 18, पेज नं.- 469 से 476 तक है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जमाबंदी को रद्द करते हुए श्रीमती मीना देवी, पति- श्री चन्द्रशेखर प्रसाद, अनुमंडल- मसौढ़ी,

अंचल/हल्का- पुनपुन, मौजा-पकड़ी के नाम जमाबंदी कायम करते हुए इसमें संलिप्त दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

नाला को साफ कबतक

*20 **श्री राजीव कुमार (बेगूसराय स्थानीय प्राधिकार):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिला अंतर्गत मंझौल बस स्टैंड से लेकर चेरिया बरियारपुर प्रखंड तक SHSS स्टेट हाईवे के किनारे वर्ष 2007 में नाला निर्माण पथ निर्माण विभाग द्वारा किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि नाला निर्माण के बाद उक्त नाला की कभी सफाई नहीं की गई;

(ग) क्या यह सही है कि चेरिया बरियारपुर प्रखंड की जनता नाला सफाई नहीं होने के कारण गंभीर बीमारियों से पीड़ित होती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार चेरिया बरियारपुर प्रखंड की जनता को बीमारियों से बचाने के लिए समय-समय पर उक्त नाला को साफ करवाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

जातीय जनगणना का मापदण्ड

*22 **श्री देवेश कुमार (मनोनीत):**

क्या **सामान्य प्रशासन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बिहार में जो जातीय जनगणना होनी है उस जनगणना के लिए कौन-सी क्रिया विधि अपनाई जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि जाति जनगणना में जाति तथा उपजातियों की गणना एक सूची में करने की क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो जातीय जनगणना के दौरान जो आर्थिक सर्वेक्षण होना है, उसका क्या मापदण्ड है?

जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराना

*21 **श्री भीसम साहनी (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि मुजफ्फरपुर अमर सिनेमा रोड, विशेश्वर पाण्डेय अतिथि भवन, के सामने सी.डी. और सी.एम. यूनियन की सरकारी जमीन पर दुकान का निर्माण कराकर उससे भाड़ा वसूला जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि वहां के स्थानीय लोगों का रास्ता (गली) अवरूद्ध करते हुए उस पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है जिससे स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है;

(ग) क्या यह सही है कि स्थानीय पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को आवेदन देने के बावजूद अभी तक कार्रवाई नहीं की गई;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सरकारी जमीन की जांच कराते हुए अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

पार्क का निर्माण

*23 **श्री अशोक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, नवादा)**ः

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि नवादा शहर में एक भी पार्क नहीं है, शहर के सौंदर्यीकरण हेतु पार्क का निर्माण कराया जा सकता है;

(ख) क्या यह सही है कि सरकारी बस स्टैंड को बुधौल बस स्टैंड में शिफ्ट किये जाने से नवादा शहर स्थित सरकारी बस स्टैंड की करीब 06 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नवादा शहर स्थित सरकारी बस स्टैंड की परती जमीन पर शहर के सौंदर्यीकरण हेतु पार्क का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

विस्थापित परिवारों को बसाना

*24 **श्री अशोक कुमार अग्रवाल (कटिहार त्रिस्तरीय पंचायती राज)**ः

क्या **आपदा प्रबंधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि कटिहार जिला में विगत कई वर्षों से विभिन्न नदियों के

कटाव से हजारों परिवार विस्थापित होकर सड़क किनारे/बांध पर अस्थायी रूप से शरण लेकर अपना गुजर-बसर कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि विस्थापित परिवारों को बसाने के लिए कोई पहल जिला/अंचल स्तर पर नहीं की जाती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अभियान चलाकर भूमि का अर्जन कर विस्थापित परिवारों को आवंटित भूमि का पर्चा देते हुए बसाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

जनप्रतिनिधियों को मानदेय भुगतान

***25 डा. दिलीप कुमार जायसवाल (पूर्णिया, अररिया स्थानीय प्राधिकार):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधियों का मानदेय पटना मुख्यालय से सीधे ससमय उनके बैंक खाते में नहीं जाने से स्थानीय स्तर पर कठिनाई उत्पन्न हो रही है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनप्रतिनिधियों का मानदेय पटना मुख्यालय से सीधे उनके बैंक खाते में भिजवाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

अतिक्रमण से मुक्ति

***26 प्रो. (डा.) रामबली सिंह (विधान सभा):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के घोंघरडीहा अंचल के ग्राम- परसा, नवटोली में स्व० जालेश्वर कामत, जगदीश कामत के नाम से खाता नं०- 1198 एवं खेसरा नं०- 2709 में आवास अवस्थित हैं;

(ख) क्या यह सही है कि इन दोनों परिवारों के आवासीय भूखंडों का मुख्य सड़क से सम्पर्क गैर मजरूआ जमीन के खेसरा नं०- 3298/13132 के माध्यम से है;

(ग) क्या यह सही है कि भू-माफिया द्वारा गैर मजरूआ जमीन का अतिक्रमण कर

रास्ता को अवरुद्ध कर दिया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अतिक्रमित गैर मजरूआ जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कर पीड़ित परिवार को रास्ता देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

सड़क का जीर्णोद्धार

*27 **श्री तरुण कुमार (समस्तीपुर स्थानीय प्राधिकार):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना शहर के खाजपुरा-आकाशवाणी मोहल्ला स्थित मेडिहार्ट अस्पताल चौराहा से मीरगंज कोठी तक की सड़क काफी जर्जर स्थिति में है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त सड़क के बीच में बड़ा गड्ढा बन जाने, बरसात में गड्ढा में पानी जमा होने के कारण स्थानीय निवासियों को काफी तकलीफ होती है एवं दुर्घटना की आशंका बनी रहती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़क का शीघ्र जीर्णोद्धार करवाना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

सड़क का निर्माण

*28 **श्री रामईशबर महतो (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिला के सीतामढ़ी शहर में पासवान चौक से अम्बेदकर चौक तक सड़क काफी जर्जर है;

(ख) क्या यह सही है कि सड़क खराब होने से आम लोगों एवं शहरवासियों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराकर यातायात का लाभ दिलाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण से मुक्त

*29 **श्री घनश्याम ठाकुर (मनोनीत):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के रहिका प्रखंड अंतर्गत कपिलेश्वर नाथ महादेव स्थान के मेला प्रांगण सह हाट में कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर घर बना लिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि अतिक्रमण करने के कारण सावन के महीने में कांवरियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ मामले में लोक शिकायत निवारण अधिकारी से भी आदेश प्राप्त है पर अतिक्रमण को खाली नहीं करवाया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त अतिक्रमित भूमि को सरकार खाली करवाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

मछुआरों को ऑनलाइन सदस्य बनाना

*30 **श्री हरि सहनी (विधान सभा):**

क्या **सहकारिता** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पैक्स में सदस्यता अभियान ऑनलाइन चलाया जाता है, इसके माध्यम से किसान सदस्य बनकर अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि प्रखण्ड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों में पैक्स के तर्ज पर सदस्यता अभियान ऑनलाइन सरकार द्वारा नहीं चलाया जाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पैक्स के तर्ज पर प्रखण्ड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों में अधिक-से-अधिक परम्परागत मछुआरों को ऑनलाइन सदस्य बनाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?